ब–अदालत अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा

रे० मि० केस सं०–03/21–22

फत्तो हरिजन बनाम उमेश रविदास

2022

–: आदेश :–

प्रस्तुत वाद आवेदक फत्तो हरिजन, पे०–स्व० छेदी हरिजन, साकिन–महागामा, थाना–महागामा, जिला–गोड्डा के द्वारा समर्पित आवेदन, जो मौजा बसुआ नं०–692, खाता सं०–24, दाग नं०–32 कुल रकबा–00–02–00 धूर भूमि पर विपक्षी उमेश रविदास एवं उपेन्द्र रविदास, दोनों पे०–स्व० दोरकी हरिजन, साकिन–महागामा, थाना–महागामा द्वारा जबरन जमीन कब्जा करने को लेकर प्रारंभ किया गया। उभय पक्षों को कारण–पृच्छा दाखिल करने हेतु नोटिस निर्गत किया गया।

उभय पक्ष के अधिवक्ताओं को सुनने एवं अभिलेख में संलग्न दस्तावेज के अवलोकनोंपरान्त पाया कि प्रासंगिक भूमि का सक्षम न्यायालय से बँटवारा उपरान्त सीमांकन के पश्चात दखल दिहानी संभव प्रतीत होता है। बिना बँटवारानामा के एक ही वंशज के उत्तराधिकारियों का हिस्सा चिन्हित करना एवं दखल दिहानी का आदेश पारित करने के लिए यह न्यायालय सक्षम न्यायालय नहीं है।

अतः आवेदक के आवेदन को अस्वीकृत किया जाता है। तदनुसार अभिलेख की कार्यवाही बंद की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

(Sd) 24.06.22

अनुमंडल पदाधिकारी
महागामा।

(Sd) 24.06.22

अनुमंडल पदाधिकारी
महागामा।

Seen
S. Choudhary
Adv.
11.10.22

Digitally signed by Saurabh Kumar Bhuwania
Date: 2023.04.10 15:33:29 +05:30
Location: 192.168.223.157

Scanned with OKEN Scanner